<u>फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)</u>

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

जिस लेखाशीर्षक की बचत से पुनर्विनियोग प्रस्तावित है :- (धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	बजट प्रावधान	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (3-4)
1	2	3	4	5
अनुदान संख्या-43 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3500.00	300.00	141.50	158.50
योग-	**3500.00**	**300.00**	**141.50**	**158.50**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण :- (धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	कोषवानी के अनुसार जनवरी 2020 तक का व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संस्तुत धनराशि	औचित्य
6	7	8	9	10	11
अनुदान संख्या-43 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	24.00	19.70	13.50	13.50	कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा बस दुर्घटना में घायल/मृतकों के आश्रितों को देय आर्थिक सहायता के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के कारण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-13--टेलीफोन पर व्यय	350.00	296.03	128.00	128.00	इन्टरनेट कनेक्टीविटी हेतु बी०एस०एन०एल० को तृतीय त्रैमास के भुगतान हेतु।
योग -	**374.00**	**315.73**	**141.50**	**141.50**	

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

अपर परिवहन आयुक्त (आई0टी0) उ0प्र0 के पत्र दिनांक 07-12-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय में प्रावधानित धनराशि रू0 3500.00 लाख में से स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स योजना के अन्तर्गत बिल भुगतान एवं अन्य व्यय के पश्चात लगभग रू0 300.00 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) उ0प्र0 के पत्र दिनांक 04-12-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेखाशीर्ष-2235-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता मद में प्रावधानित धनराशि रू0 24.00 लाख का धनाबंटन जिलाधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में पूर्ण धनराशि का आबंटन दिनांक 04-12-2019 तक किया जा चुका है। वर्तमान में सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी को राहत देने हेतु कतिपय जिलाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त आाख्याओं के आधार पर रू0 9.30 लाख के प्रस्ताव लम्बित हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के शेष 04 माहों में लगभग 4.20 लाख की आवश्यकता अनुमानित है। इस प्रकार कुल रू0 13.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है।

अपर परिवहन आयुक्त (आई0टी0) उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन 4.0/सारथी 4.0 के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में बीएसएनएल के माध्यम से 4 एमबीपीएस की इन्टरनेट लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी स्थापित करायी गयी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कुल धनराशि रू0 570.45 लाख के भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया गया है, जिसके सापेक्ष मद संख्या-13-टेलीफोन पर व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 350.00 लाख में से 02 त्रैमास हेतु रू0 2,85,22,274/- का भुगतान किया जा चुका है। टेलीफोन मद में 02 त्रैमास का भुगतान किये जाने के पश्चात उपलब्ध बजट को कम करते हुए बीएसएनएल को इस वित्तीय वर्ष में 01 त्रैमास का भुगतान करने के लिये रू0 128.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई.संख्या-467/ई-9-यू0ओ0-9-08/दस-2020, दिनॉक 03 मार्च, 2020

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(ओम प्रकाश सिंह)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

संख्या-18/2020/587/तीस-3-20-06बी/2014टीसी, दिनॉक 04 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in